महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

पत्र सं. -17-2/2025(प्र.वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक : 10-10-2025

कार्यालय आदेश -1813

विषय :- तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 (TFYC 3.0) के सम्बन्ध में।

शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षात्मक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से बच्चों के लिए एक समग्र स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

प्रतिष्ठान से सम्बद्ध समस्त वेद पाठशालाओं, गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों तथा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस हेतु अपनी पाठशालाओं/इकाइयों/विद्यालयों में स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन करें तथा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 (TFYC 3.0) के अन्तर्गत गुटखा, खैनी, पान, मावा के साथ-साथ नए संस्करण जैसे ई-सिगरेट, ओरल निकोटीन पाउच, गर्म तंबाकू उत्पाद आदि को सेवन करने के दुष्परिणामों से विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए उन्हें इन प्रतिकूल पदार्थों से जीवनपर्यन्त दूर रहने की शिक्षा प्रदान करें। इस सम्बन्ध में व्याख्यान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित शैक्षिक वीडियो के माध्यम से छात्रों को सुरक्षात्मक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित करें।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain
प्रशासन
Administration
(An Autonomous Organisation of Ministry of Education)
(शिक्षा मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान)

10/10/25

(लवी त्यागी)
सहायक निदेशक(प्रशा. एवं स्था.)

सहायक निदेशक (प्रशासनिक)
Assistant Director (Administration)
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

प्रतिलिपि :-1. प्रतिष्ठान से सम्बद्ध समस्त वेद पाठशालाओं, गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों एवं राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

2. कार्यालय आदेश पत्रावली। 3. संबंधित पत्रावली।

2025